

04(प्र०)

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

रजिस्टर्ड ए०डी०
उल्लंघन पत्र

सं० :-म०प्र०/कटनी/ लाइमस्टोन -283 | 2116 से 2118

जबलपुर दिनांक : 18/07/16

प्रति : **Shri Raj Kishore Agrawal,**
Besides Mitra Vihar Colony,
Khirahni Road ,
P.O. & Distt.- Katni (M.P.) 483501

विषय : म०प्र० राज्य के कटनी जिले में स्थित आपकी नन्हवारा (**Nanhwara**) लाइमस्टोन (क्षेत्र 18.09 हे०) खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

इस कार्यालय के गिरीश श्रीवास्तव, सहायक खनन भूविज्ञानी एवं आर मुन्डा, सहायक खनन अभियंता द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री अर्पित अग्रवाल की उपस्थिति में दिनांक 22/06/16 को उपरोक्त खान का एम० सी० डी० आर० निरीक्षण करने पर पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम 13(1)	अनुमोदित खनन स्कीम पत्र सं० MP/ Katni/Limestone/M.Sch-35/12-13 दिनांक 01/10/12 अनुसार वर्ष 2015-16 में लाइमस्टोन में 6 मीटर उचाई की 04 बेंच प्रस्तावित थी लेकिन निरीक्षण के दौरान पाया गया लाइमस्टोन की 03 बेंच बनाई गई है। एवं अंतिम (तीसरी) लाइमस्टोन की बेंच की उचाई 14 मीटर तक बनाई गई है। हैं।
नियम 45 (5) (b)	वर्ष 2015-16 से उक्त नियम के अंतर्गत वार्षिक विवरणियां इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
3. ध्यान रहे नियम 13(1) की अनुपालना न होने की स्थिति में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियम 13(2) के अंतर्गत खान में खनन कार्य का स्थगन (suspension) किया जा सकता है।

अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचनापत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(कन्हैयालाल)

वरिष्ठ सहायक खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित। :

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, 'खनिजभवन' 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म०प्र०)

प्रो.प्रि.ट.
R.K.
18/07/16

5.5

(कन्हैयालाल)

वरिष्ठ सहायक खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक